कार्यालय–उपनिदेशक (नि0)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0

नवीन मण्डी स्थल,पहाड़िया वाराणसी

पत्रांक–उ0नि0(नि0)/वाराणसी/निविदा/2026– 193 दिनांक 16.05.2026

सेवा में,

सम्पादक,
दैनिक समाचार पत्र
हिन्दुस्तान/आज/काशीवार्ता

विषयः–अल्पकालीन निविदा के प्रकाशन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया सूचना संख्या–193....... दिनॉक–16.05.2026आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने दैनिक समाचार पत्र के वाराणसी संस्करण में सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित (डी0ए0वी0पी0) दरों पर मात्र दो कालम **में एक बार कम से कम स्पेस एवं फान्टसाईज 09 में** तत्काल प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सूचना प्रकाशन के सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित समाचार पत्र की दो प्रतियां अपना बिल भूगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। एक सप्ताह के अन्दर बिल ना प्राप्त होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

संलग्नकःयथोपरि।

16.05.2026
उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद वाराणसी

पृष्ठांकन एवं दिनांक समांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक अभियन्ता मण्डी परिषद वाराणसी।
2. सहायक लेखाधिकारी मण्डी परिषद वाराणसी।

16.05.2026
उप निदेशक (निर्माण)

कार्यालय–उपनिदेशक (नि0)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0

नवीन मण्डी स्थल,पहड़िया वाराणसी

पत्रांक–उ0नि0(नि0)/वाराणसी/निविदा/2026–192 दिनांक 16.05.2026

ई–प्रोक्यूरमेंट अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निर्माण खण्ड, मण्डी परिषद, वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत मण्डी समिति–वाराणसी/चन्दौली/जौनपुर/मुगराबादशाहपुर/शाहगंज/जंगीपुर/जमानिया/युसूफपुर के अन्तर्गत मण्डी परिषद में पत्रांक–उ0नि0(नि0)/वाराणसी/निविदा/2026–1206 दिनॉक–17.01.2026 के द्वारा दिनॉक–07.02.2026 को निविदा आंमत्रित किया गया था। अपरिहार्य कारणोवश पत्रांक–1237 दिनॉक–23.01.2026 से शुद्धि पत्र दिनॉक–12.02.2026 को निविदा आमंत्रित किया गया, जिसमें पर्याप्त निविदाये प्राप्त नही होने के कारण द्वितीय प्रयास हेतु पुनः पत्रांक–1500 दिनॉक–20.03.2026 को निविदा आमंत्रित किया गया था। जिसमें पर्याप्त निविदाये प्राप्त नही होने के कारण तृतीय प्रयास हेतु पुनः दिनॉक–**26.05.2026** को आमंत्रित की जाती है। ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा बेब साइट **www.etender.up.nic.in** पर दिनांक–18.05.2026 के पूर्वाहन 10.00 बजे से दिनॉक–25.05.2026 के सायं–5:00 तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्य की निविदा की तकनीकी बिड दिनांक–**26.05.2026** को दोपहर 12:00 बजे खोली जायेगी। तकनीकी बिड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

क्0सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रू0 लाख मे)	निविदा शुल्क जी0एस0टी0 सहित (रू0)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 मे)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की श्रेणी	निविदा की वैधता
1	2	3	4	5	6	7	8
मण्डी समिति वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत –							
1	वाराणसी भदोही मुख्य मार्ग से ग्राम झबरा तक। 2026_RKUMP_1149536_1	29.25	**5200.00**	2.94	04 माह	"द"	03 माह
मण्डी समिति चन्दौली क्षेत्रान्तर्गत –							
2	सम्पर्क मार्ग धानापुर अवही मार्ग पर रमरजाय तिराहे से सोनहुली पिच रोड के आगे से ग्राम सोन्हुली होते हुये सदाफल आश्रम तक। 2026_RKUMP_1149536_2	34.08	**6100.00**	3.41	04 माह	"द"	03 माह

विशेष शर्तेः–

1. धरोहर धनराशि का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) उप निदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद वाराणसी के भारतीय स्टेट बैंक पहड़िया शाखा के खाता संख्याः 30394570557 आई0एफ0एस0सी0 कोड संख्या **SBIN0002598** एवं निविदा का मूल्य खाता संख्या. 30394555461 आई0एफ0एस0सी0 कोड संख्या **SBIN0002598** उप निदेशक (निर्माण) वाराणसी के नाम से अलग–अलग आर0टी0जी0एस0 करना होगा। जिसका बैंक से सत्यापित यू0टी0आर0 नं0 हार्ड कापी में उपलब्ध कराना होगा एवं अपलोड भी करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र व धरोहर राशि का मूल्य राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद वाराणसी के सम्बन्धित खाते में न प्राप्त होने या ससमय से प्राप्त न होने की दशा में विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी व निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2. निविदा प्रपत्र में दी गयी शर्तो की अर्हता पूरी न करने वाली निविदा पर विचार नही किया जायेगा और निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदा की समस्त प्रमाण पत्रों, निविदादाता फर्म/प्रोपराईटर जो लागू हो, के नाम का आधार, पैन(साझेदार फर्म की दशा में फर्म के नाम),फर्म के नाम का लेटर पैड,टी–4,टी–5 अपलोड करते समय टी–4, टी–5 एवं टी–6 को नोटरी के साथ सत्यापित कर मूलरूप,वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र विगत 05....

वर्षो का प्रामाणित सी0ए0 द्वारा निर्गत टर्न ओवर, जो सिविल वर्क्स से ही सम्बन्धित हो, एवं **S.B.D** के अनुसार विगत 05 वर्ष में किये गये कार्यो का सक्षम स्तर से निर्गत समान प्रकृति का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मण्डी परिषद में या किसी अन्य निर्माण संस्था में वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यो स्वीकृत एवं स्वीकृति हेतु विचाराधीन कार्यो के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा, को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वर्णित अभिलेखों में कमी पाये जाने या अन्यथा की दशा में निविदा तकनीकी रूप से अनुपयुक्त मानी जायेगी।

4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ पंजीकरण श्रेणी के अनुरूप टी0 एण्ड पी0 एवं मशीनरी का विवरण, फर्म द्वारा तकनीकी स्टाफ के होने की घोषणा (वेतन विवरण सहित) व तकनीकी कर्मी द्वारा शपथपत्र निर्धारित प्रारूप पर तथा निविदा योग्यता से सम्बन्धित समस्त मूल प्रपत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. समस्त निविदा प्रपत्र को निविदादाता द्वारा हार्ड कापी निविदा के अन्य प्रपत्र के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं श्रम उपकर सेस के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित ठेकेदार को नियमानुसार श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता मण्डी परिषद आदेश पत्रांकः मु0.अभि0.ग्रेड–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–1190 में उल्लेखित बिड कैपेसिटी के अनुरूप ही निविदा में प्रतिभाग कर सकता है। जिसका घोषणा शपथपत्र पर करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता बार कांउसिलिंग का सदस्य नही होना चाहिए। जिसके लिए निविदादाता को शपथपत्र पर घोषणा करना अनिवार्य होगा।
9. वेब साइट **www.etender.up.nic.in**से डाउनलोड किये गये प्रपत्रों से किसी भी तरह की विभिन्नता की स्थिति में कार्यालय में अनुरक्षित निविदा प्रपत्र की मूलप्रति ही मान्य होगी।
10. एक या समस्त निविदानिविदादाता को बिना अवगत कराये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद वाराणसी को होगा।
11. निविदा प्राप्त करने की तिथि को यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।
12. शेष नियम शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी व पढ़ी जा सकती है।
13. कार्य क्षमता से अधिक लागत की निविदा न डाली जाय। अन्यथा निविदा अस्वीकार मानी जायेगी।
14. परिषद आदेश पत्रांक–मु0अभि0–(पंजी0नि0–1168–भाग–4)–2023–217 दिनॉक–29.05.2023 द्वारा निर्देश दिया गया है कि मण्डी परिषद के निर्माण खण्ड में "द" श्रेणी में पंजीकृत (अनुभव विहिन) ठेकेदार रू020.00 लाख से अधिक लागत के कार्यो हेतु आमंत्रित निविदा में प्रतिभाग नही कर सकते है।

15–यह निविदा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की मानक बोली दस्तावेज **(Standard Bidding Document) T-1/T-2** तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद लखनऊ द्वारा निर्गत नवीनतम शासनादेशों, कार्यालय आदेशों एवं तकनीकी दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में आमंत्रित की जा रही है।

16–यदि निविदा दस्तावेजों, **SBD** शर्तों एवं परिषद मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों में किसी प्रकार की भिन्नता / विरोधाभास / अस्पष्टता पाई जाती है, तो उस स्थिति में परिषद मुख्यालय के नवीनतम आदेश एवं प्रासंगिक **SBD** प्रावधानों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

17–सभी निविदाकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तों, निर्देशों एवं प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन कर लें। शर्तों की अवहेलना अथवा अपूर्ण जानकारी के आधार पर भविष्य में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18– निर्माण खण्ड में जिन फर्म/ठेकेदारों के निर्माणाधीन कार्य की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा समय वृद्धि स्वीकृत नही है फर्म/ठेकेदार निविदा में प्रतिभाग नही कर सकेगें। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(एस0के0वर्मा)
उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद वाराणसी

अन्य नियम एवं शर्तें

1. वस्तु एवं सेवाकर/आयकर/श्रमकर विभाग के प्रचलित अध्ययादेशों के अनुसार नियमानुसार कटौती ठेकेदारों के देयक से की जायेगी। फर्म/ठेकेदार द्वारा डाली गयी टेन्डर स्वीकृत होने के उपरान्त श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण एवं कर्मकार का पंजीयन प्रमाण–पत्र विभाग में एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। निविदादाता बार काउन्सिल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
2. निविदा डालते समय पंजीकरण की प्रमाणित छायाप्रति, यदि पार्टनरशीप फर्म है तो, पार्टनरशीप डीड(रू0 750/–मात्र के स्टाम्प पेपर पर), पावर ऑफ एटार्नी(रू0 100/–मात्र के स्टाम्प पेपर पर) एवं शासनादेश सं0–4435/छः–पु–14–06–50(7)/2006 दिनांक 02.11.2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गतचरित्र/हैसियत प्रमाण–पत्र की मूल/प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। निविदा के साथ टी–4 एवं टी–5 की प्रमाणित छायाप्रति एवं टी–6 व मण्डी परिषद एवं अन्य निर्माण संस्था में निर्माणाधीन कार्यो स्वीकृत एवं स्वीकृति हेतु विचाराधीन कार्यो का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नोटरी के द्वारा सत्यापित कर अण्डर टेकिंग के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।असत्य/अपूर्ण दस्तावेज पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदादाता द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र (टी0–4) में वैधता तिथि का स्पष्ट उल्लेख न होने की दशा में प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या–99/6–पु0–14–23–50(07)/2006 दिनांकः10.03.2023 के अनुसार प्रमाण पत्र की वैधता सामान्यतः दो वर्ष के लिए मान्य होगी।
4. निविदादाता द्वारा पार्टरशीप फर्म होने की दशा में लोक निर्माण विभाग–7 के शासनादेश संख्या–14/2017/2170/तेईस–7–17–176(सा0)/06 दिनांकः13.12.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप दो या दो से अधिक साझेदारी वाली फर्म/कम्पनी के नाम से हैसियत प्रमाण पत्र(टी0–5) ही मान्य होगा। अन्यथा की दशा में निविदा विचारणीय नही होगा।
5. यदि किसी निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र मूल्य अपूर्ण या ससमय जमा नही किया जाता है, तो निविदादाता का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।
6. निविदादाता को पंजीकृत श्रेणी के अनुरूप विगत 5 वर्षो के, निर्धारित कार्य का निविदा आंमत्रित करने की तिथि के पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें अनुबन्ध संख्या,कार्य की लागत एवं संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण होने की तिथि व विवरण उद्धरित हो, अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. मण्डी परिषद मुख्यालय, लखनऊ के आदेश पत्रांक सं0 – मु0अभि0(2016)/2016–990 दिनांक : 25.07.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में नवीन कार्य प्रारम्भ होनें वाले कार्यों पर सीमेन्ट/मैक्सफाल्ट की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वंय की जायेगी। इण्डियन आयल कम्पनी मथूरा से क्रय की गयी बिटूमिन की रसीद(सी0आर0सी0) उपनिदेशक (निर्माण) कार्यालय में सी0आर0सी0 की 01 प्रति जमा करना अनिवार्य होगा जिससे सी0आर0सी0 का सत्यापन कराया जा सकें।
8. निविदा की वैधता निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ रू0 100.00 मात्र के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 मात्र का राजस्व रसीदी टिकट लगाकर 90 दिन निविदा की वैधता स्वीकार्य लिखकर देना अनिवार्य होगा एवं रू0 100/–मात्र के नान ज्यूडिसियल ब्लैंक स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 मात्र का राजस्व रसीदी टिकट लगाकर निविदादाता का हस्ताक्षर कर निविदा प्रपत्रों के साथ देना अनिवार्य होगा। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा किसी भी दशा में निविदादाता द्वारा वापस नही ली जा सकती है।
9. निविदा में दी गयी दरों में किसी प्रकार का निगोशियेशन नहीं किया जायेगा। टेण्डर खुलने के बाद प्राप्त दरें ही अन्तिम होगी। तद्नुसार ही निर्णय लिया जायेगा। अनुबन्ध बनाते समय सभी आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
10. पूर्व में आवंटित निर्माण कार्यों के सम्पादन में जिन ठेकेदारों का परफॉरमेन्स अच्छा नहीं है, उनकी तकनीकी बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. ठेकेदार द्वारा कराये गये त्रुटि पूर्ण कार्य से यदि परिषद को किसी प्रकार की क्षति/हानि होती है, तो क्षतिपूर्ति की वसूली मण्डी परिषद अधिनियम की धारा–20, के अन्तर्गत राजस्व वसूली की भांति फर्म/ठेकेदार से की जायेगी।

12. कार्य की निविदा विभागीय दर से अत्यधिक कम आने पर परफार्मेन्स सिक्योरिटी लोक निर्माण विभाग के पत्रांक :14/बी0डी0डी0–1(एन0एच0)/40एम0टी0–11/24 दिनांक 03.01.2024 में निर्गत आदेशों के अनुरूप नियम/शर्तो के अधीन ली जायेगी।
13. कार्य की मद या मात्रायें निविदा स्वीकृति से पूर्व या बाद में घटाने या बढाने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
14. यदि किसी ठेकेदार द्वारा एक ही कार्य की एक से अधिक निविदायें डाली जायेगी, तो उसकी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. समस्त कार्यो की प्रतिमाह प्रगति समयानुपातिक देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अन्तरिम अर्थदण्ड नियमानुसार लगाया जा सकता है।
16. किसी भी कार्य की एकल निविदा मान्य नहीं होगी तथा उसे खोला नहीं जायेगा।
17. आबंटित कार्य के अनुबन्ध पर 1 सप्ताह के अन्दर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
18. बिल के साथ रायल्टी की रसीद (एम0एम0–11) प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा अन्यथा नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी।
19. कार्य की अन्तिम भुगतान ठेकेदार को कार्य मण्डी समिति को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व संबधित ठेकेदार का होगा।
20. पंजीकरण में निर्धारित कार्य क्षमता से अधिक लागत की निविदा अपलोड करने पर निविदा अवैध मानी जायेगी।
21. आइटम वाइज दरें देने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाताओं द्वारा कार्य की कुल लागत पर प्रतिशत दर ही अपलोड की जायेगी (विभागीय/कम/अधिक)।
22. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। सशर्त निविदामान्य नहीं होगी।
23. ठेकेदार को रोड कार्य पूर्ण करने के बाद 05 वर्ष तक रोड का मेनटेनेंश करना अनिवार्य होगा। जिसमे सी0सी0/इण्टरलाकिग कार्य रोड़ के लिए प्रथम वर्ष में निर्माण लागत का 0.00 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में 0.34 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 0.50 प्रतिशत चर्तुथ वर्ष में 0.66 प्रतिशत एवं पंचम वर्ष में 1.00 प्रतिशत कुल 2.50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार को रोड कार्य पूर्ण करने के बाद 05 वर्ष तक रोड का मेनटेनेंश करना अनिवार्य होगा। जिसमे पी0सी0/बिटूमिनस रोड कार्य के लिए प्रथम वर्ष में निर्माण लागत का 0.00 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में 01 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 1.5 प्रतिशत चर्तुथ वर्ष में 02 प्रतिशत एवं पंचम वर्ष में 03 प्रतिशत कुल 7.50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
25. इन कार्यों की जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने पर मण्डी परिषद/लोक निर्माण विभाग/शासनादेश के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
26. मण्डी परिषद के निर्माण सम्बन्धित सभी विशिष्टियों एवं गुणवत्ता परिक्षण हेतु नियमानुसार निर्धारित लैब से समय–समय पर जांच करायी जायेगी जिसका भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को करना होगा।
27. यदि उक्त में पंजीकरण/नवीनीकरण से सम्बन्धित कोई बिन्दु उल्लिखित होने से रह गया है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में विद्यमान अथवा भविष्य में निर्गत होने वाले शासनादेश एवं लोक निर्माण विभाग के नियम प्रभावी होंगे।
28. अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत निविदादाता की निविदा यदि प्रथम न्यून प्राप्त होती है तो मण्डी परिषद में पंजीकरण हेतु वॉछित समस्त अभिलेख एवं निर्धारित शुल्क सहित प्रार्थना पत्र 03 दिवस के अन्दर संबन्धित निर्माण खण्ड स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। पंजीकरण के सम्बन्ध में परिषद मुख्यालय से समय–समय पर निर्गत कार्यालय ज्ञाप एवं निर्देशों के अनुसार उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा अपनी संस्तुति एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करनी होगी। परिषद मुख्यालय द्वारा पंजीकरण की समस्त कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण करा ली जाएगी।

29. निविदादाता में उल्लेखित सभी सामान्य,विशेष एवं अन्य नियम व शर्ते मान्य होने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से लिखकर देना अनिवार्य होगा।अस्पष्ट/अपूर्ण/अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
30. इस कार्य हेतु मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों के साथ-साथ इस क्षेत्र में विशेषज्ञ फर्मो/संस्थाओं /एन0जी0ओ0 को पंजीकरण की छूट प्रदान करते हुए शेष अन्य नियमों एवं शर्तो के आधार पर भाग ले सकते है।
31. अपर लेखन किया गया शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।
32. पी0सी0 का कार्य पेवर मशीन एवं हाटमिक्स से किया जायेगा।

16/05/2026

(एस0के0वर्मा)
उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, वाराणसी

पृष्ठांकन एवं दिनांक समांक (प्रकाशनार्थ हेतु नही)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव,निदेशक/अपर निदेशक(प्रशासन) मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय को अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता ग्रेड-1 एवं 2/संयुक्त निदेशक (निर्माण) जोन-4, मण्डी परिषद, गोरखपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गाजीपुर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजीपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर।
6. सिस्टम मैनेजर मण्डी परिषद,उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया निविदा की सूचना का प्रकाशन मण्डी परिषद की वेवसाइट पर कराने का कष्ट करें।
7. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी/चन्दौली/जौनपुर/गाजीपुर।
8. उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, वाराणसी।
9. समस्त उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, उ0प्र0।
10. समस्त ठेकेदार, मण्डी परिषद वाराणसी।
11. सम्बन्धित सचिव ,कृषि उत्पादन मण्डी समिति ।
12. अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता,मण्डी परिषद वाराणसी।
13. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

16/05/2026

उप निदेशक (निर्माण)

Signature Not Verified
Digitally signed by JAYPRAKASH VARMA
Date: 2026.05.16 17:24:17 IST
Location: Uttar Pradesh-UP